बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–मो०–51/14 (खण्ड) ५५। /कृ0, पटना, दिनांक 23-01-2015

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। (*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **खरीफ 2014 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2014–15 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रूपये, कुल 785.24 करोड़ रूपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अंतर्गत 3,19,01,610/–(तीन करोड उन्नीस लाख एक हजार छः सौ दस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 3157 दिनांकः 15.07.2014 के क्रम में खरीफ 2014 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2014–15 मे सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रूपये, कुल 785.24 करोड़ रूपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु स्वीकृति के लिए अवशेष राशि के अंतर्गत तत्काल सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 3,19,01,610/–(तीन करोड उन्नीस लाख एक हजार छः सौ दस) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अरवल, शिवहर, जमुई, भोजपुर एवं नालन्दा जिला से अतिरिक्त राशि की अधियाचना की गई है। इस प्रकार उपलब्ध राशि को जिलों के अधियाचना के अनुसार सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है :–

राशि : रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	इस राज्यादेश से स्वीकृत राशि
1	अरवल	12,33,943
2	शिवहर	18,83,279
3	जमुई	73,59,015
4	भोजपुर	1,42,57,125
5	नालन्दा	71,68,248
कुल		**3,19,01,610**

यह स्वीकृति पूर्व में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त है। अरवल जिला को 62 दिनांक 19.07.2014, 92 दिनांक 12.08.2014 एवं 162 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए क्रमशः 64,62,800/– रू०, 64,62,800/– रू० एवं 32,31,400/– रू०, शिवहर जिला को 62 दिनांक 19.07.2014 एवं 162 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए क्रमशः 38,75,600/– रू० एवं 58,13,400/– रू०, जमुई जिला को 62 दिनांक 19.08.2014 के द्वारा 1,09,42,400/–रू0 तथा पत्रांक 177 दिनांक 28.11.2014 के द्वारा 1,64,13,600/– रू०, भोजपुर जिला को पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 62 दिनांक 19.07.2014, 92 दिनांक 12.08.2014 एवं 156 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए क्रमशः 1,80,70,800/– रू०, 1,80,70,800/– रू० एवं 90,45,400/– रू० एवं नालन्दा जिला को 62 दिनांक 19.08.2014 एवं 183

दिनांक 08.12.2014 के द्वारा क्रमशः 2,03,34,400/-रू0 एवं 3,05,01,600/- रू० के आवंटित राशि के अतिरिक्त स्वीकृत राशि संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी के उपाबंटन के अनुसार संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी एवं व्यय कर सकेंगे।

3. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 3157 दिनांक 15.07.2014, द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं अन्य शर्त्ते यथावत रहेंगी।

4. वर्ष 2014-15 में तत्काल निकासी/व्यय के लिए स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग संख्या-1-उप शीर्ष 0103- बाढ़, सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड P2401001090103 राज्य योजना स्कीम कोड AGR 56 83 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में उपबंधित 215.7174 करोड़ रूपये (दो अरब पन्द्रह करोड़ एकहत्तर लाख चौहत्तर हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

5. योजना में मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 24.06.2014 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-पी0पी0एम0-84/2012(खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या-199/टि0 पर संधारित है।

6. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी0पी0एम0-84/2012 (खण्ड-1) के पृ0सं0- 205/टि. पर दिनांक-09.07.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(हस्ताक्षर) 23.1.15
(विश्वनाथ चौधरी)
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५५१ /कृ0, पटना, दिनांक 23-01-2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.1.15
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ५५१ /कृ0, पटना, दिनांक 23-01-2015

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर, अरवल, शिवहर, जमुई एवं नालन्दा/जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, अरवल, शिवहर, जमुई एवं नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, अरवल, शिवहर, जमुई एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.1.15
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ५५१ /कृ0, पटना, दिनांक 23-01-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/नगर एवं आवास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.1.15
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ५५१ /कृ0, पटना, दिनांक 23-01-2015

प्रतिलिपि : मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.1.15
निदेशक, प्रशासन-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।